संख्या 871 /XXVII(1)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनु0 -1 देहरादून, दिनांक : 24 दिसम्बर, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या- 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा निर्गत की गयी थी। इसी कम में प्रथम अनुपूरक मांग एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम-2008 पारित होने के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशियां प्रशासनिक विभागों के निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि -

2- प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की किसी भी मद की धनराशि बिना वित्त विभाग की सहमति के अवमुक्त नहीं की जायेगी।

3- नई माँग के तहत प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि आयोजनागत पक्ष में परिव्यय उपलब्ध होने पर भी परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही व्यय हेतु अवमुक्त की जायेगी।

4- आयोजनागत पक्ष की धनराशि वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता आदि एवं अवचनबद्ध मदों की प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि बी0एम0-13 पर अद्यतन व्यय विवरण उपलब्ध कराने पर ही वित्त विभाग की सहमति से ही व्यय हेतु अवमुक्त की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

Pratham Anupurak maang1

संख्या 871 (1)/XXVII(1)/2008 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. शासन के समस्त अनुभाग।
5. एन0 आई0 सी0, सचिवालय, देहरादून।
6. उपनिदेशक शासकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

24/12/2008

(एल0 एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

Prathum Anupurak maang-4